HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3595/2026

1. Bapulal Alias Rahul S/o Anil, Aged About 24 Years, Residents Of Saroli Police Station Dhambola District Dungarpur Rajasthan. (Presently Lodged At Dist. Jail Doongarpur)
2. Rajnarayan Alias Jitu S/o Jivram, Aged About 23 Years, Residents Of Saroli Police Station Dhambola District Dungarpur Rajasthan. (Presently Lodged At Dist. Jail Doongarpur)
3. Prakash S/o Kalji, Aged About 29 Years, Residents Of Saroli Police Station Dhambola District Dungarpur Rajasthan. (Presently Lodged At Dist. Jail Doongarpur)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3596/2026

Jeevaram S/o Manilal, Aged About 44 Years, Siroli P.s.dhambola Dist. Doongarpur Raj. (Presently Lodged At Dist. Jail Doongarpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Umesh Kant Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

03/07/2026

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक–पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर में दर्ज एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 257/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 126(2), 61(2) बी.एन.एस के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इन जमानत प्रार्थना–पत्रों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

02. बहस जमानत आवेदन प्रार्थीगण–अभियुक्तगण सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में राहुल पुत्र गोपाल की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक

25.03.2026 को हो चुकी है। जिसमें केवल मात्र चश्मदीद साक्षी करिश्मा को बताया है, जो उचित नहीं है। करिश्मा चश्मदीद गवाह के अलावा गवाह रमेशचन्द्र पुत्र रणछोड़, महेन्द्र पुत्र बसंत भी घटना के चश्मदीद साक्षी है। जिसके द्वारा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण बापुलाल उर्फ राहुल व प्रकाश द्वारा मारपीट करना नहीं बताया है। राजनारायण उर्फ जीतू द्वारा भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह के मोटरसाइकिल के टक्कर मारना बताया है और अन्य चश्मदीद साक्षी रमेशचन्द्र ने राहुल उर्फ बापुलाल उर्फ राहुल का भूपेन्द्र सिंह भूपतसिंह से झगड़ा हो जाना और सभी द्वारा भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह से मारपीट कर पत्थरों से हमला कर देना बताया है। ऐसी अवस्था में इस मामले में मृतक भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह का जीवराम के भाई ईश्वर की लड़की करिश्मा को लेकर खड़े होने की बात को लेकर विवाद होना बताया। जान से मारने के आशय से मुल्जिमान द्वारा चोटें कारित करना गवाहान के बयान से स्पष्ट नहीं है और करिश्मा गलत बयान कर रही है इस आधार पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त मामले में मुख्य रूप से अन्य गवाहान रमेशचन्द्र व महेन्द्र द्वारा स्वयं का मारपीट नहीं करना बताया है और पुलिस द्वारा गवाहान की सूची में सुश्री करिश्मा व श्रीमती मीनाक्षी के ही धारा 180 व धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन कराए जाने बाबत अंकित किया गया है। रमेशचन्द्र पुत्र रणछोड़ व महेन्द्र पुत्र बसंत के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत कोई बयान नहीं कराए हैं।

06. रमेशचन्द्र पुत्र रणछोड़ ने अपने सशपथ बयान में यह कहा है कि उसका पूर्व में छः माह पूर्व एक्सीडेंट हुआ था। जिससे उसके पैर में फ्रेक्चर हो गया था। राहुल व बापुलाल उर्फ राहुल ने आगे आकर देखा तो भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह, जीवराम के भाई ईश्वर की लड़की करिश्मा को लेकर खड़ा था जिस बात को लेकर उनके झगड़ा हो गया। जिसपर सभी ने भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह के साथ मारपीट कर पत्थरों से हमला कर दिया। साक्षी दूर खड़ा था, उसके बाद राहुल आया और दोनों मोटरसाइकिल लेकर घर चले गए। साक्षी ने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की। साक्षी भाग नहीं सकता इस कारण से मोटरसाइकिल के पास ही खड़ा था। साक्षी ने महेन्द्र पिता बसंत ने किसी प्रकार की मारपीट भूपेन्द्रसिंह उर्फ भुपतसिंह के साथ नहीं की। जैसे ही ट्रेक्टर से भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह के टक्कर मारी महेन्द्र डर के मारे मौके से भाग गया था।

07. गवाह महेन्द्र पुत्र बसंत ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि साक्षी व प्रकाश ने आगे जाकर देखा तो भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह जीवराम के भाई ईश्वर की लड़की करिश्मा को लेकर खड़ा था, जिस पर उन्होंने भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह से पूछा कि करिश्मा के साथ क्या कर रहे हो जिस पर भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह ने कहा कि चले जाओ नहीं तो बन्दूक से फायर कर दूंगा, जिस पर वे डर गए एवं राजनारायण उर्फ जितू ने ट्रेक्टर से भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे वह मोटरसाइकिल सहित निचे गिर गया, साक्षी डर के मारे मौके से भाग गया। साक्षी ने कोई भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह के साथ मारपीट नहीं की है। रमेश पुत्र रणछोड़ ने मारपीट की है।

08. इस मामले में सुश्री करिश्मा के बयान का अवलोकन किया। सुश्री करिश्मा का मौके पर होना अन्य दोनों गवाहान रमेशचन्द्र पुत्र रणछोड व महेन्द्र पुत्र बसंत के बयानों से स्पष्ट है। सुश्री करिश्मा ने अपने बयान में बताया कि साक्ष्या भूपेन्द्र सिंह भूपतसिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर सीमलवाडा की तरफ जा रही थी, सिंथल ओडा, तीन रास्ते के पास भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह को पेशाब आई तो उसने रोड के साईड में बबुल के पेड के पास गाडी रोकी एवं नीचे उतर कर मोटरसाइकिल के पास पेशाब कर रहा था। इतने में सीमलवाडा की तरफ से साक्षी के परिवार के जीवराम पिता मणिलाल अहारी, विपिन पिता जीवराम, कमल उर्फ बंटी पिता जीवराम, प्रकाश पिता कलजी, राजनारायण उर्फ जीतू पिता जीवराम, बापुलाल पिता अनिल एक ट्रेक्टर व दो मोटरसाइकिल लेकर आये व राजनारायण उर्फ जितू ने भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह के मोटरसाइकिल के टक्कर मारी जिससे भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह मोटरसाइकिल के नीचे आ गया फिर सभी ने मिलकर भूपेन्द्रसिंह उर्फ भूपतसिंह के छाती में बड़े–बड़े पत्थर मारे। साक्ष्या के हल्ला करने पर सभी ने उसे धमकाया कि यहां से चली जा नहीं तो तुझे भी इसके साथ मार देंगे। जिस पर वह दौड़कर भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह के घर की तरफ कहने जाने लगी तो रास्ते में उसके घर के सामने रहने वाला लड़का माधुसिंह मिला जिसको उसने पूरी बात बताई तथा उसके घर पर कहने को कहा, जिसपर साक्षी की मौसी मीनाक्षी आई, जिसको पूरी बात बताई, जिस पर मौके पर गये वहां देखा कि मासाजी रोड़ के किनारे पड़े थे, जिनकी मौत हो गई थी। जीवराम पिता मणीलाल अहारी व उसके परिजन भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह से दुश्मनी रखते हैं। ऐसी अवस्था में इस मामले में जो साक्ष्य सुश्री करिश्मा द्वारा दी गई है, उससे स्पष्ट तौर से घटना की चश्मदीद साक्षी होना और प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का संयुक्त रूप से भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह के साथ मारपीट करना बताया गया है।

09. इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूपतसिंह के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें मृत्यु से पूर्व की आई होना स्पष्ट है और cause of

death 'shock due to head injury' आना अंकित किया है और चोट और मृत्यु के बीच की अवधि छः घण्टे के भीतर की होना अंकित है। ऐसी अवस्था में इस स्टेज पर मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. माननीय उच्चतम द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत X vs. State of Rajasthan & Anr. Special Leave Petition (Criminal) No. 13378/2024 Date of order 27-11-2024 के मामले में यह अंकित किया गया है कि हत्या, बलात्कार, डकैती के मामले में विचारण प्रारम्भ हो जाने के पश्चात सामान्यतया जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर हत्या कारित करने का आरोप है। प्रकरण में लगातार गवाह के बयान हो रहे हैं। इस मामले के तथ्यों परस्थितियों में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

11. ऐसी अवस्था में इस मामले के गुणावगुण पर विवेचन किए बगैर इस प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस स्टेज पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

12. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (439 दण्ड प्रक्रिया संहिता) खारिज किये जाते हैं।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

80-81-mayank/-